संख्या-355/2025/आई/1062108/23-1-25/23-1099/90/2025

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2025

विषयः- लोक निर्माण विभाग के मार्गों हेतु विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कार्यसूची तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग में विभिन्न जनपदों में मार्गों की विशेष मरम्मत हेतु सम्बन्धित जनपद के जनसामान्य एवं जनप्रतिनिधिगण से प्राप्त कार्यों के प्रस्तावों पर जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जनपदवार कार्यसूची उपलब्ध कराई जाती है।

2- सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभाग में विशेष मरम्मत के कार्यों की कार्यसूची के शत-प्रतिशत अंतिमीकरण का कार्य पूर्व से प्रचलित विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से किया जाये। इस हेतु विशेष मरम्मत के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 एवं आगामी वित्तीय वर्षों की कार्यसूची का अंतिमीकरण विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार किया जायेः-

I. मद 3054 विशेष मरम्मत के अंतर्गत समस्त जनपदों में समतुल्य वितरण (Equitable Distribution) किया जाये। इसके लिए निम्नवत मापदण्ड रखते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों की प्राथमिकता निर्धारण हेतु अंकों की गणना निम्नवत की जायः-

(अ) वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनपद की जनसंख्या

10 लाख से कम	10 अंक
10 लाख से 20 लाख	20 अंक
20 लाख से 30 लाख	25 अंक
30 लाख से अधिक	30 अंक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ब) वर्तमान सड़क की लम्बाई

1500 किलोमीटर से कम	10 अंक
1500 से 3000 किलोमीटर	20 अंक
3000 से 5000 किलोमीटर	25 अंक
5000 किलोमीटर से अधिक	30 अंक

(स) वार्षिक प्रति व्यक्ति आय (NDDP)

रू0 100000 से अधिक	05 अंक
रू0 75,000 से रू0 100000	10 अंक
रू0 50000 से रू0 75000	15 अंक
रू0 50000 से कम	20 अंक

(द) बाढ़ से ग्रसित, खनन से आच्छादित, आकांक्षी जनपदों एवं ऐसे जनपदों जहाँ से नवीन प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे सामग्री की आपूर्ति के कारण सड़कें खराब हुई हैं, ऐसे प्रत्येक मापदंड को 05 अंक प्रदान किये जाएँ, अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जाएँ।

3- उपरोक्तानुसार विशेष मरम्मत के अंतर्गत सर्वाधिक अंक पाने वाले जनपदों के कार्य की कार्यसूची हेतु कार्यों का चयन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा गठित 03-सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियंता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण चक्र के पूर्व क्षतिग्रस्त हुये मार्गों के प्रस्ताव प्राप्त करेंगे, जिसकी तकनीकी साध्यता का अध्ययन सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता द्वारा किये जाने के उपरान्त कार्य के चयन हेतु प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा एवं मुख्यालय पर अध्ययन के उपरान्त अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किये जायेंगे। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (यातायात वर्ग) के पत्रांक-1375सी/विशेष मरम्मत की कार्ययोजना/23-24, दिनांक 18.08.2023 की व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जाये। विशेष मरम्मत के अंतर्गत प्रथमबार कार्यसूची 30 अप्रैल तक तथा वर्षा ऋतु के उपरान्त 30 सितम्बर तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन अनुपूरक सूची भी तैयार की जाये।

4- कार्ययोजना बनाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0-188/2025/सा-13/23-1-2025/23-1099/84/2025, दिनांक 11.04.2025 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- विशिष्ट आवश्यकताओं की स्थिति में शासन स्तर से चयन/आवंटन किये जा सकेगें।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष मरम्मत की कार्यसूची तैयार करने के संबंध में उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अजय चौहान

प्रमुख सचिव।

संख्या-355/2025/आई/1062108(1)/23-1-25/23-1099/90/2025-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारीगण, उ0प्र0।

3- विशेष सचिवगण, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- निजी सचिव, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- प्रबंध निदेशक, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

10- समस्त अनुभाग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अमित आसेरी

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।